रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 8, फरवरी 1973/माघ 19, 1894
No. 27] NEW DELHI, THURSDAY, 8, FEBRUARY 1973/MAGHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 8th February., 1973.,

NOTIFICATION

G.S.R. 52 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinace, 1973 (1of 1973), the Central Government hereby appoints, with effect from the 7th day of February, 1973,the Government company specified under column 1 of the Table below as the Additional Custodian-General for assisting the Custodian-General in the exercise of his powers and duties under the said Ordinace in relation to the coal mines specified in the corresponding entries under column 2 of the said Table, namely:—

TABLE

1	2
Bharat Coking Coal Limited	Coal mines specified against S. Nos. 27 to 164, 171 and 204 to 209 of the Schedule to the Ordinance.
Industrial Reconstruction Corporation of India Limited.	Coal Mines specified against S. Nos 321, 378, 424, 425 and 434 of the Schedule to the Ordinance.

[No.CI-22(10)/73]
S. K. DHAR,
Director.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

अधिसूचना

सा० का०नि० 52 (अ)—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 के अधीन विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी को 7 फरवरी, 1973 से, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 के अधीन तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट कोयला खानों के सम्बन्ध में, महा-अभिरक्षक को, उक्त अध्यादेश के अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग करने में सहायता देने के लिए, अपर महाभिरक्षक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

1	2
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	अध्यादेश की अनुसूची में क्रम सं० 27 से 164 तक, 171 और 204 से 209 तक विनिर्दिष्ट कोयला खानें ।
इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन आफ इण्डिया लि०	अध्यादेश की अनुसूची में क्रम सं० 321, 378, 424, 425 और 434 में विनिर्दिष्ट कोयला खानें ।

[सं० कोल 1-22(10)/73]

सुनील कान्ति धर,

निदेशक ।

DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1973
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW